राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/ दिनाँक :

निर्देश

विभाग में संचालित कई चिकित्सा संस्थानों/जिलों में नर्स श्रेणी द्वितीय सृजित पदों से अधिक कार्यरत होने के फलस्वरूप अधिशेष चल रहे थे तथा नियमित वेतन आहरित नही हो रहा था। इन कार्मिकों को विभागीय आदेशों/निर्देशों के द्वारा जिले में नर्स श्रेणी द्वितीय/नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों पर समायोजित तथा नवीन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा पर समायोजित किया गया हैं।

उक्त कार्मिकों के सम्बंध में विभाग के ध्यान में आया हैं कि कई जिलों में उक्त नर्स श्रेणी द्वितीय का पूर्व का वेतन अभी भी बकाया चल रहा हैं।

अतः समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि जिन अधिशेष नर्स श्रेणी द्वितीय का समयोजन निदेशालय स्तर पर अथवा जिला स्तर पर नर्स श्रेणी द्वितीय/नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पद पर किया गया हैं एवं उनका पूर्व का वेतन बकाया हैं, तो उनके उस अवधि की उपस्थित, गत वेतन भुगतान पत्र इत्यादि प्राप्त कर आपके अधीन जिलें में (मु.चि.एवं स्वा.अधि. एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के अधीन) नर्स श्रेणी द्वितीय के समकक्ष/उच्च रिक्त पद से नियमानुसार वेतन आहरण की कार्यवाही करें।

उक्त कार्यवाही के उपरान्त भी यदि सम्बंधित जिले से किसी नर्स श्रेणी द्वितीय का वेतन आहरण किया जाना सम्भव नही हो, तो उन कार्मिकों की सूची मय बकाया वेतन आहरण की अवधि के सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, संभाग को प्रस्तुत करें। तद्उपरान्त सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं सेवाऐं, संभाग अपने स्तर से संभाग में उपलब्ध रिक्त पदों (मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों सहित) पर इन कार्मिकों के वेतन आहरण के प्रस्ताव तैयार कर व्यक्ति विशेष के साथ निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत करेगें।

उक्त के अतिरिक्त जिन अधिशेष नर्सिंग कार्मिकों का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में किया गया हैं, उनका पूर्व का बकाया वेतन आहरण करने हेतु संबंधित अधीक्षक अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें।

उक्त निर्देश माह जनवरी, 2016 से मार्च, 2018 के मध्य अधिशेष रहे नर्स श्रेणी द्वितीय, जिनका वेतन आहरण नही हो सका हैं, के लिए ही लागू होगा।

Sd/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/58 दिनाँक : 12/01/2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सम्बधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं।
3. सम्बंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
4. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur